[2019] 4 एस. सी. आर. 222

कैखोस्रो (चिक) कवासी फ्रामजी

वी.

भारत संघ और ए. एन. आर.

(2009 की सिविल अपील सं. 5574)

15 मार्च, 2019

[अभय मनोहर सेप्रे और

दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम,

1971 : एसएस। 4 (1) और 4 (2) (बी) (ii)-बेदखली के आदेश के खिलाफ कारण दिखाने के लिए नोटिस जारी करना-राज्य का संक्षिप्त उपचार जिसमें कोई व्यक्ति शामिल हो।

भूमि का कब्जा-तथ्यों के आधार पर, अपीलकर्ताओं के पूर्ववर्ती ने अपनी संपत्ति दो बार सरकार को पट्टे पर दी-उक्त भूमि की मांग की गई, अधिग्रहण रद्द कर दिया गया और उसके बाद फिर से अधिग्रहण किया गया।

संपदा अधिकारी यू/एस. एस. द्वारा नोटिस जारी करना। 4 (1) और 4 (2) (बी) (ii), अपीलार्थियों को, उन्हें मुकदमे के अनधिकृत अधिभोगियों के रूप में मानते हुए

उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई संपत्ति सूचना-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः अपीलकर्ताओं ने भारत संघ के तहत वाद संपत्ति के स्वामित्व के सवाल पर एक प्रामाणिक विवाद उठाया-एक दुर्भाग्य से, ऐसे मामले में, संपदा अधिकारी के पास यू/एस की शक्तियों को लागू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। 4 अधिनियम में निर्धारित संक्षिप्त प्रक्रिया का सहारा लेकर यू/एस नोटिस भेजकर। 4 मुक़दमे की संपत्ति से अपीलार्थी की बेदखली के लिए-तथ्य और दस्तावेज़ यह स्थापित करते हैं कि एक प्रामाणिक रूप से लंबे समय तक मौजूद है

इस बारे में स्थायी विवाद कि वाद संपत्ति अपीलार्थियों या भारत संघ का मालिक कौन है-भारत संघ ने स्वयं इस न्यायालय में मुकदमे के पहले दौर में कहा था कि वे मांग करेंगे तदनुसार संपत्ति से अपीलार्थियों का निष्कासन

कानून के साथ और आवश्यकता पड़ने पर दीवानी अदालत में दीवानी मुकदमा दायर करके, हालांकि, इसका सहारा नहीं लिया गया था-प्रत्यर्थियों को अब अपने बयान से पीछे हटने और अधिनियम के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया के उपाय का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो अन्यथा उपलब्ध नहीं है।

उन्हें-वाद संपत्ति के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थियों द्वारा जारी पुनः आरंभ करने के नोटिस को रद्द करने का प्रभाव यह था कि भारत संघ किसी भी प्रकार के सारांश का सहारा लेने का हकदार नहीं था।

अपीलार्थियों को वाद संपत्ति से बेदखल करने का उपाय-केवल दीवानी अदालत ही प्रयास कर सकती है और निर्णय ले सकती है-इस प्रकार, संपदा अधिकारी द्वारा जारी नोटिस को रद्द कर दिया जाता है।

222 कैखोस्रो (चिक) कवासी फ्रामजी बनाम। यूओआई

एक न्यायाधीश द्वारा, और अन्य दो न्यायाधीशों ने उक्त से सहमति व्यक्त की विचार और तर्क-दो सहमत न्यायाधीशों ने भी अपने व्यक्तिगत सहमत तर्क को उसी तर्ज पर पूरक बनाया जिस पर प्रमुख न्यायाधीश ने अपना विचार व्यक्त किया-किसी भी मुद्दे पर न्यायाधीशों के बीच कोई असहमति नहीं-आयोजित किया गयाः यह बहुमत से एक कानून है और इस प्रकार, न्यायालय द्वारा यू/आर्ट द्वारा निर्धारित एक कानून है। 141 - भारत का संविधान-कला। 141 .

सिद्धांत/सिद्धांतः विलय का सिद्धांत-की प्रयोज्यता

आयोजित किया गयाः विलय के संचालन के लिए, उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तय किए गए मुद्दों के गुण-दोष में जाना चाहिए और रिकॉर्ड करना चाहिए।

इसके गुण-दोष पर निष्कर्ष-यदि यह उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामले में विलय की याचिका का कोई आवेदन नहीं है और

अधीनस्थ न्यायालय अपना पक्ष रखता रहेगा-तथ्यों के आधार पर, यह न्यायालय अपने आदेश द्वारा अपीलों का निपटारा करते हुए उन विभिन्न दलीलों के गुण-दोष में नहीं गया, जिनका निर्णय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में किया था और प्रत्यर्थियों द्वारा दिए गए बयान पर अपील का निपटारा किया कि वे दीवानी मुकदमा दायर करके दीवानी अदालत के उपचार का सहारा लेंगे-इस प्रकार, विलय का सिद्धांत काम नहीं करेगा।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 प्रत्यर्थी के वकील का निवेदन कि ए. पी. सेन जे. द्वारा पैरा 86 में व्यक्त किया गया विचार

87 एक्सप्रेस समाचार पत्र मामले में सबसे अच्छा उनके अपने विचार के रूप में माना जा सकता है, लेकिन बहुमत से न्यायालय के दृष्टिकोण के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि अन्य दो न्यायाधीशों (ई. एस. वेंकटरमैया जे. और आर. बी. मिश्रा जे.) ने इस प्रश्न पर कोई राय व्यक्त नहीं की थी, इसलिए इस न्यायालय को नहीं करना चाहिए पैरास 86 में निर्धारित कानून के कथन पर कोई निर्भरता रखें।

87 , स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पारस 51-52] [240-B, C]

1.2 गार्जियन के मामले में लॉर्ड एशर एम. आर. के तर्क को ध्यान में रखते हुए जब कानून के बयान में निर्धारित किया गया था एक्सप्रेस अखबार के निर्णय की जांच की जाती है, पैरा 86-87 में निहित ए. पी. सेन जे. का तर्क तीनों न्यायाधीशों की ओर से निर्धारित कानून है। यह बहुमत से एक कानून है और इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत न्यायालय द्वारा निर्धारित एक कानून है। यह इन कारणों से है कि हालांकि मुख्य निर्णय ए. पी. सेन जे. द्वारा लिखा गया था, अन्य दो न्यायाधीशों ने इस विचार और [2019] 4 एस. सी. आर. के साथ सहमति व्यक्त की।

ए. पी. सेन जे. का तर्क; दोनों सहमत न्यायाधीशों ने भी इस प्रश्न पर अपने-अपने विचार उसी तर्ज पर व्यक्त किए जिस पर न्यायमूर्ति ए. पी. सेन ने अपने विचार व्यक्त किए थे और इस अपील में जिस मुद्दे से यह न्यायालय संबंधित है, उससे बहुत कम किसी भी मुद्दे पर कोई असहमति नहीं है। एक्सप्रेस अखबार के मामले में प्रमुख निर्णय में निर्धारित कानून तीन माननीय न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया कानून है जिन्होंने पीठ का गठन किया और इस प्रकार, देश के सभी न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत बाध्य करता है।

संविधान। यह द गार्जियन के मामले में लॉर्ड एशर एम. आर. द्वारा निर्धारित परीक्षण को संतुष्ट करता है। [पारस 56,57,58] [241-जी, एच; 242-ए-सी]

एक्सप्रेस समाचार पत्र बनाम। यू. ओ. आई (1986) 1 एस. सी. सी. 133:

[1985] 3 पूरक। एससीआर 382-समझाया गया।

वेस्ट डर्बी यूनियन बनाम गरीबों के संरक्षक। द गार्डियंस ऑफ द पूअर्स ऑफ द अत्चम यूनियन क्वींस बेंच 1889 (वॉल्यूम। XXIV) 117-संदर्भित।

2.1 कैसर I हिंद के मामले और उत्तर भारत के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के बयान को ध्यान में रखते हुए,

2.2 एक फोरटियोरी, ऐसे मामले में, प्रतिवादी संख्या 2 के पास पी. पी. अधिनियम में निर्धारित संक्षिप्त प्रक्रिया का सहारा लेकर पी. पी. अधिनियम की धारा 4 के तहत शक्तियों को लागू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अपीलार्थी को वाद संपत्ति से बेदखल करने के लिए पी. पी. अधिनियम की धारा 4 के तहत नोटिस भेजना। सबसे पहले, निर्धारित तथ्य और उनके समर्थन में दायर किए गए दस्तावेज, बिना किसी अनिश्चित शब्दों में, यह स्थापित करते हैं कि एक प्रामाणिक दीर्घकालिक विवाद मौजूद है कि वाद संपत्ति का मालिक कौन है-अपीलार्थी या प्रतिवादी संख्या 1 (भारत संघ)। दूसरा, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने स्वयं स्वीकार किया कि तथ्यों के विवादित प्रश्नों से युक्त वाद संपत्ति पर अपीलार्थियों और प्रत्यर्थी संख्या 1 (भारत संघ) के बीच एक प्रामाणिक विवाद मौजूद है। तीसरा, प्रत्यर्थी संख्या 1 (भारत संघ) ने स्वयं इस न्यायालय में मुकदमे के पहले दौर में कहा था कि वे कानून के अनुसार और यदि आवश्यक हो, तो दीवानी न्यायालय में दीवानी मुकदमा दायर करके विचाराधीन संपत्ति से अपीलार्थियों को बेदखल करने की मांग करेंगे। उत्तरदाताओं को अब कैखोस्रो (चिक) कवासी फ्रामजी बनाम की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

यूओआई

अपने बयान से पीछे हटना और पी. पी. अधिनियम के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया के उपाय का सहारा लेना, जो अन्यथा नहीं है

उनके लिए उपलब्ध है। चौथा, इस न्यायालय ने अपील करने के लिए विशेष अनुमति देते हुए प्रतिवादी संख्या 1 को भी स्वतंत्रता प्रदान की थी।

भारत) अपीलार्थियों के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर करने के लिए, यदि उन्हें इस तरह की सलाह दी जाती है। हालांकि, इसका सहारा नहीं लिया गया। पाँचवाँ, वाद संपत्ति के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थियों द्वारा जारी पुनः आरंभ करने के नोटिस को रद्द करने का प्रभाव यह था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 (भारत संघ) न केवल बॉम्बे भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1948 के तहत बल्कि पीपी अधिनियम के तहत भी वाद संपत्ति से अपीलार्थियों को बेदखल करने के लिए किसी भी प्रकार के संक्षिप्त उपाय का सहारा लेने का हकदार नहीं था क्योंकि पीपी अधिनियम भी इसी तरह का संक्षिप्त उपाय प्रदान करता है।

निष्कासन। छठा, केवल दीवानी न्यायालय ही पक्षकारों के बीच किसी भी अचल संपत्ति के स्वामित्व की घोषणा के प्रश्न पर निर्णय लेने का प्रयास कर सकता है और ऐसे विवादों पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

पी. पी. अधिनियम के तहत संक्षिप्त कार्यवाही। [पारस 65-71] [243-G, H; 244-A-F]

3. विलय का सिद्धांत काफी हद तक तय किया गया है। विलय के संचालन के लिए, उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तय किए गए मुद्दों के गुण-दोष में जाना चाहिए और किसी न किसी तरह से अपने गुण-दोष पर निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए। यदि यह उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामले में विलय की याचिका का कोई आवेदन नहीं है और

अधीनस्थ अदालत इस क्षेत्र को संभालती रहेगी। इस बारे में कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय इस न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश में विलय हो गया था, इस न्यायालय ने अपने आदेश द्वारा अपीलों का निपटारा करते हुए विभिन्न दलीलों के गुणागुण में नहीं गया, जो उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में तय किए गए थे और सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से प्रतिवादियों द्वारा दिए गए बयान पर अपील का निपटारा किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 भारत संघ एक दीवानी मुकदमा दायर करके दीवानी अदालत के उपचार का सहारा लेगा। वास्तव में, प्रत्यर्थियों (अपील में अपीलकर्ताओं) द्वारा दिए गए ऐसे बयान के आलोक में, जिसके परिणामस्वरूप उनकी अपील का निपटारा हुआ, प्रत्यर्थियों ने स्वयं इस न्यायालय से अपनी अपीलों में उठाए गए मुद्दों के गुण-दोष की जांच करने का आह्वान नहीं किया। ऐसी स्थिति में, इस न्यायालय के लिए अपील में उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे पर कोई निष्कर्ष दर्ज करने के लिए बहुत कम गुण-दोष पर दिमाग लगाने का कोई अवसर नहीं था। मामले के इस दृष्टिकोण में, विलय का सिद्धांत काम नहीं कर सका। [पारस 72-75] [244-जी, एच; 245-ए-डी] [2019] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

षण्मुगवल नादर बनाम। तमिलनाडु राज्य (1989) 4

एस. सी. सी. 187 [1989] 3 एस. सी. आर. 488-पर निर्भर था।

4. प्रत्यर्थियों ने कहा कि दो प्रकार के न्यायाधिकरणों के बीच अंतर है-एक जो केवल तभी शक्तियों का प्रयोग करता है जब यह दिखाया जाता है कि तथ्यों की कुछ स्थिति मौजूद है और दूसरा जिसके पास यह निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र है कि क्या तथ्यों की प्रारंभिक स्थिति मौजूद है और साथ ही इसके पास कुछ और करने के लिए आगे बढ़ने का अधिकार क्षेत्र है, और उसके आधार पर, संपदा अधिकारी को धारा 4 में इस मामले के तथ्यों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है।

अधिनियम के तहत कार्यवाही स्वीकार नहीं की जा सकती है। एक बार कैसर-आई हिंद के मामले में यह कानून निर्धारित किया गया है कि पीपी अधिनियम कैसे संचालित होता है और इसे लागू करने की आवश्यकता है, पीपी अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों की जांच कानून के आलोक में की जानी चाहिए जो पीपी अधिनियम से संबंधित है। [पारस 76-78] [245-E-G]

कैसर-आई-हिंद प्रा. लिमिटेड लिमिटेड बनाम। राष्ट्रीय वस्त्र निगम। (महाराष्ट्र उत्तर) लिमिटेड (2002) 8 एस. सी. सी. 182:

[2002] 2 पूरक। एस. सी. आर. 555-अनुसरण किया गया।

चौबे जगदीश प्रसाद बनाम। गंगा प्रसाद चतुर्वेदी [1959] पूरक 1 एससीआर 733-प्रतिष्ठित।

5. निवेदन कि रिट याचिका नहीं थी

पी. पी. अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी किए गए नोटिस को चुनौती देने के लिए कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाता है। पहला, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने और गुण-दोष के आधार पर इसे खारिज करने के बाद, यह आपत्ति विचार के लिए जीवित नहीं रहती है और दूसरा, इस प्रश्न पर निर्णयों की लंबी कतार के आलोक में, किसी भी अधिनियम के तहत जारी किए गए नोटिस की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाने के लिए एक रिट याचिका उपयुक्त मामले में रिट याचिका पर विचार करने में कोई बाधा नहीं है। इस मामले को रिट याचिका पर विचार करने के लिए एक उपयुक्त मामला माना गया था। [पैरा 80] [246-बी, सी]

सीमेंस लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006) 12 एस. सी. सी. 33 [2006] पूरक। एससीआर 925; व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम ट्रेड मार्क्स पंजीयक (1998) 8 एस. सी. सी. 1: [1998]

2 पूरक। एस. सी. आर. 359 पर भरोसा किया।

6. विवादित आदेश को अलग कर दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप,

अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी किए गए नोटिस को प्रमाणपत्र की रिट जारी करके रद्द कर दिया जाता है।

[पैरा 83] [246-एफ] कैखोस्रो (चिक) कवासी फ्रामजी बनाम। यूओआई

फिरोज़ तेमुलजी अंकलेसेरिया बनाम। एच. सी. वशिष्ठ एयर 1980 बॉम्बे 9; उड़ीसा राज्य बनाम। रामचंद्र देव ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 685; वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्र। वी. बल्लापुर

कोलियरीज कंपनी एंड ओआरएस। (2019) 2 एससीसी 327; एम/एस। बल्लापुर कोलियरीज कंपनी एंड ओआरएस। वी. संपदा अधिकारी और अन्य। (2002 के सिविल संशोधन आवेदन No.801 और 2003 के सिविल संशोधन आवेदन No.803 में बॉम्बे उच्च न्यायालय का दिनांकित 22.01.2007 निर्णय; उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्य वी. जिया खान (1998) 8 एस. सी. सी. 483; ए. पी. बनाम राज्य थुम्माला कृष्ण राव (1982) 2 एस. सी. सी. 134; राजस्थान राज्य बनाम। पद्मावतीदेवी (1995) पूरक 2 एस. सी. सी. 872; नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स (पी) लिमिटेड v. पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1581: [1967] एस. सी. आर. 399-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

ए. आई. आर. 1980 बॉम्बे 9

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

संदर्भित किया गया है

आकाशवाणी 1964 एससी 685

पैरा 40

(2019) 2 एस. सी. सी. 327

संदर्भित किया गया है

पैरा 40

(1998) 8 एससीसी 483

संदर्भित किया गया है

पैरा 40

(1982) 2 एससीसी 134

संदर्भित किया गया है

पैरा 40

(1995) पूरक 2 एस. सी. सी. 872

संदर्भित किया गया है

पैरा 40

[1985] 3 पूरक। एससीआर 382

पारस 51

संदर्भित किया गया है

52 , 56 , 5

[1967] एससीआर 399

संदर्भित किया गया है

पैरा 62

[1989] 3 एससीआर 488

उस पर भरोसा करें

पैरा 73

[2002] 2 पूरक। एससीआर 555

पीछा किया।

पैरा 78 पैरा 79

(1959) पूरक 1 एस. सी. आर. 733

प्रतिष्ठित

[2006] पूरक। एससीआर 925

उस पर भरोसा करें

पैरा 80

[1998] 2 पूरक। एससीआर 359

उस पर भरोसा करें

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5574

2009 से।

2001 की रिट याचिका संख्या 4386 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 17.06.2009 से। डेरियस खंबाटा, हुज़ेफ़ा अहमदी, Sr.Advs। , महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, अंकुर सहगल, सुश्री देविका मोहन, जय छाबरिया,

सुश्री आकांक्षा सेक्साना, अर्णव बिहारी, ई. सी. अग्रवाल, रोहन शर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

अमन लेखी, ए. एस. जी., हरीश पांडे, सचिन शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय मनोहर सप्रे, जे. 1. इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है।

2001 की रिट याचिका No.4386 में मुंबई में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 17.06.2009 जिसमें उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलार्थियों द्वारा दायर उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया। 2. हालाँकि इस अपील में शामिल विवाद छोटा है, लेकिन यह समझने के लिए कि यह कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी पृष्ठभूमि के तथ्यों को विस्तार से निर्धारित करना आवश्यक है। तथ्य एसएलपी पेपर बुक और पार्टियों द्वारा प्रस्तुत तिथियों की सूची से बताए गए हैं।

3. यहाँ अपीलार्थी रिट याचिकाकर्ता हैं और

" एल्फिंस्टन रोड ") पुणे-411001। संपत्ति में एक मुख्य शामिल था बंगला, एक कुटीर, आउटहाउस, गैरेज और लगभग डेढ़ एकड़ (इसके बाद सूट के रूप में संदर्भित) भूमि (उद्यान) का एक खुला भूखंड।

संपत्ति ")।

5. एक बुर्जोरजी गुस्तादजी और कूवरबाई होमी करानी सूट संपत्ति के मालिक थे। उन्होंने सूट की संपत्ति एक श्री को बेच दी।

मोहम्मद हाजीभॉय, जिला न्यायाधीश के आदेश के अनुसार दिनांक 01.03.1920 के हस्तांतरण के अनुबंध द्वारा। आवेदन

1919 का सं. 5 श्री मोहम्मद हाजीभॉय के पक्ष में बिक्री के लिए मंजूरी प्रदान करता है।

7. पट्टा समय के साथ समाप्त होने के बाद भी पट्टेदार यानी भारत सरकार के कब्जे में बना रहा। सूट की संपत्ति। हालांकि, श्री कैहोस्रो सोराबजी फ्रामजी ने फिर पांच साल की अवधि के लिए भारत सरकार के पक्ष में 19.04.1940 पर एक और पट्टा विलेख निष्पादित किया। वर्ष 1939 में पट्टेदार श्री कैहोस्रो सोराबजी फ्रामजी ने सूट संपत्ति में कुछ निर्माण कार्य करने की अनुमति देने के लिए छावनी बोर्ड, पुणे में आवेदन किया। कुछ पत्रों के आदान-प्रदान के बाद, छावनी बोर्ड ने श्री कैहोस्रो सोराबजी फ्रामजी को अनुमति दे दी।

8. 30.04.1941 पर, श्री कैहोस्रो सोराबजी फ्रामजी ने अपने बेटे श्री कावासजी के फ्रामजी को पीछे छोड़ दिया, जिन्हें सूट संपत्ति विरासत में मिली थी। के द्वारा

तत्कालीन कलेक्टर, पूना ने भारतीय रक्षा नियमों के नियम 75 ए (आई) के तहत सूट संपत्ति की मांग की और इसका कब्जा सैन्य अधिकारियों को सौंप दिया।

9. हालांकि, 23.03.1946 पर तीन साल के बाद, सूट संपत्ति

अधिग्रहण रद्द कर दिया गया और कब्जा श्री कवासजी के फ्रामजी को वापस सौंप दिया गया। 05.08.1948 पर, कलेक्टर ने बॉम्बे भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1948 की धारा 5 (1) के तहत फिर से मुकदमा संपत्ति की मांग की। इस आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि श्री कवासजी के फ्रामजी सूट संपत्ति के मालिक हैं।

10. श्री कवासजी के. फ्रामजी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में 1983 की रिट याचिका दायर की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राहत की मांग की गई। मुक़दमे की संपत्ति का अधिकार। दिनांक 1 के आदेश द्वारा, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और श्री कवासजी के फ्रामजी को मुकदमे की संपत्ति का कब्जा बहाल करने का निर्देश दिया। भारत सरकार,

हालाँकि, सूट संपत्ति को खाली नहीं किया, लेकिन 30.04.1985 द्वारा इसे खाली करने का बीड़ा उठाया।

11. तथ्यों के वर्णन को पूरा करने के लिए घटनाओं पर लौटना

कालक्रम में, 21.01.1971 पर, भारत संघ ने सूट संपत्ति (लगभग 22,168 वर्ग फुट) के हिस्से के संबंध में एक बहाली नोटिस जारी किया। यह नोटिस अन्य आरोपों के साथ-साथ इन आरोपों पर आधारित था कि मुकदमा संपत्ति है। यह "पुराने अनुदान" के तहत आयोजित किया गया था जिसने भारत संघ को विषय भूमि को फिर से शुरू करने का अधिकार दिया था। नोटिस में कहा गया है कि 30 [2019] 4 एस. सी. आर. की समाप्ति पर।

इसकी सेवा के कुछ दिनों बाद, श्री कवासजी के फ्रामजी के सभी निजी अधिकार और हित समाप्त हो जाएंगे। श्री कवासजी को विभिन्न मूल्यों के मुआवजे के रूप में Rs.4765/- की राशि का प्रस्ताव किया गया

विषय भूमि पर खड़ी संरचनाएँ। श्री कवासीजी के. फ्रामजी को दिनांकित 23.01.1971 पत्र द्वारा Rs.4765/- का एक चेक भेजा गया था, जिन्होंने बदले में उक्त राशि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और नोटिस और इसकी सामग्री पर आपत्ति जताते हुए 27.01.1971 पर अपना जवाब भेज दिया।

12. नोटिस और पत्र से व्यथित श्री कवासजी के. फ्रामजी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की

नोटिस और पत्र दोनों को चुनौती दी। रिट याचिका अन्य आरोपों के साथ-साथ दायर की गई थी कि विषय भूमि एक फ्री होल्ड कार्यकाल था और भारत संघ या भारत संघ के किसी भी विभाग से किसी भी अनुदान या लाइसेंस के तहत श्री कवासजी के फ्रामजी के पास कभी नहीं था और इसलिए यह केंद्र सरकार के कहने पर फिर से जमा नहीं किया जा सकता है।

13. श्री कवासजी के. फ्रामजी के अलावा, श्री पी. टी. अंकलेसरिया नामक एक व्यक्ति सहित कई अन्य व्यक्तियों को भी अदालत से इसी तरह के नोटिस मिले।

उनकी भूमि के संबंध में भारत संघ। श्री पी. टी. अंकलेसेरिया, श्री कवासजी के. फ्रामजी और अन्य लोगों ने व्यथित महसूस किया और उन्होंने भारत संघ द्वारा उन्हें भेजे गए नोटिसों की वैधता और वैधता पर सवाल उठाते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं (एस. सी. ए. No.1286/1972) दायर कीं।

14. फिरोज़ तेमुलजी अंकलेसेरिया बनाम एच. सी. वशिष्ठ, ए. आई. आर. 1980 बॉम्बे 9 में दिनांक 05.02.1979 के निर्णय/आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय रिट याचिका की अनुमति दी और नोटिस को अवैध घोषित किया और कानून के अधिकार के बिना जारी किया और तदनुसार भारत संघ को विवादित नोटिस को कोई प्रभाव देने से रोक दिया। उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 26. याचिकाकर्ता के साथ-साथ हमारे सामने रखी गई सभी सामग्री पर विचार करने पर

प्रत्यर्थियों, यह हमारे लिए स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं के कब्जे में भूमि को फिर से शुरू करने के सरकार के अधिकार का कोई सबूत नहीं है; उन शर्तों का कोई सबूत नहीं है जिनके तहत फिर से शुरू करने का अधिकार, यदि कोई हो, हो सकता है।

प्रयोग किया जाए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनमाने ढंग से या एकतरफा रूप से इसके मुआवजे का निर्धारण करके विचाराधीन भूमि पर खड़ी संरचना का अधिग्रहण करने के लिए सरकार के अधिकार या शक्ति का कोई सबूत नहीं है। इन तीनों अधिकारों को फिर से शुरू करने का अधिकार है।

विशेष शर्तों और कैखोस्रो (चिक) कावासजी फ्रामजी बनाम लेने का अधिकार पर फिर से शुरू करें।

यू. ओ. आई. [अभय मनोहर सेप्रे, जे.]

आक्षेपित सूचना में उल्लिखित-गैर-मौजूद पाए गए हैं। इसलिए, आक्षेपित सूचना स्पष्ट रूप से कानून के किसी भी अधिकार के बिना है और निम्नलिखित शर्तों द्वारा समर्थित नहीं है - अनुदान जो स्वयं सिद्ध नहीं हुआ है। ”

15. भारत संघ ने व्यथित महसूस किया और उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष अपील दायर की (विशेष नागरिक आवेदन No.364/)। डिवीजन बेंच ने कवासजी के मामले में अपीलों को खारिज कर दिया

होशरू फ्रामजी बनाम D.Krishnamunny निम्नलिखित के साथ

वैशनः

" 5 ..... प्रत्यर्थियों ने याचिका की स्थिरता के बारे में दो प्रारंभिक तर्क भी उठाए हैं। , (1)

कि याचिकाकर्ता ने अपना शीर्षक स्थापित नहीं किया था संपत्ति ताकि वह याचिका को बनाए रख सके और (2) कि याचिका में तथ्यों और कानून के विवादित प्रश्न शामिल हैं

शीर्षक के लिए और इसलिए अदालत को निर्धारित नहीं करना चाहिए

याचिकाकर्ता को उस उद्देश्य के लिए मुकदमा दायर करने का निर्देश दें। हम पाते हैं कि इस मामले में सभी विवाद उठाए गए हैं और

दोनों पक्षों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ 1972 के विशेष सिविल आवेदन No.1286 में की गई प्रस्तुतियों के समान हैं। उस याचिका में, 5-2-1979 पर दिए गए हमारे तर्कपूर्ण निर्णय द्वारा, हमने उत्तरदाताओं की उक्त दलीलों को नकार दिया है और

याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की भूमि की सरकार द्वारा बहाली और

बंगला बिना किसी कानून के अधिकार के था और इसलिए

आक्षेपित सूचना अमान्य थी। उसी पर

इस मामले में भी हम सभी तर्कों को नकारात्मक मानते हैं।

उत्तरदाताओं की और उनकी दलीलों को बरकरार रखते हुए

याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि सरकार द्वारा याचिकाकर्ता की भूमि को फिर से शुरू करना कानून के किसी भी अधिकार के बिना था

और इसलिए विवादित नोटिस अमान्य था।

16. कुल मिलाकर, उच्च न्यायालय के फैसले/आदेश के खिलाफ संघ द्वारा इस न्यायालय में 14 विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई थीं।

17. यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस बीच, श्री पी. टी. लेसरिया ने बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा (ए. आई. आर. [2019] 4 एस. सी. आर. में की गई टिप्पणियों के आलोक में जिला न्यायाधीश, पूना की अदालत में दीवानी मुकदमे भी दायर किए थे।

1980 बॉम्बे पेज 9) और विषय भूमि के कब्जे की राहत के लिए प्रार्थना की। जिला न्यायाधीश, पूना ने वादी के पक्ष में इन मुकदमों का फैसला सुनाया। भारत संघ ने व्यथित महसूस किया और बॉम्बे उच्च न्यायालय में प्रथम अपील दायर की, जबकि वादी ने इन अपीलों (608-621/1980) में प्रति-आपत्तियां दायर कीं। इन अपीलों को बाद में भारत संघ के कहने पर उनके निपटारे के लिए इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया और उन्हें (67-72/1985 और 11-12/1987) के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया। 18. दिनांक 20.07.1988 के सहमति आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपीलों को उनके निपटारे के लिए भेज दिया, जैसा कि उसमें निर्देश दिया गया था। आदेश इस प्रकार हैः

" 2. मामले पर विचार करते समय, यदि उच्च न्यायालय को पता चलता है कि विचारण न्यायालय या प्रथम अपीलीय न्यायालय ने खंड पीठ के उपरोक्त निर्णय पर भरोसा किया है या कोई संदर्भ दिया है, तो वह उस निर्णय की उस हद तक अनदेखी करेगा और उच्च न्यायालय मामले पर नए सिरे से निर्णय लेगा।

डिवीजन बेंच के उपरोक्त निर्णय पर विचार किए बिना या उससे प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार।

3. पक्षकारों को उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर उच्च न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी। 4. उच्च न्यायालय आदेश प्राप्त होने की तारीख से छह महीने के भीतर मामलों को निपटाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

रिकॉर्ड करें "।

19. शेष अपीलों का निपटारा इस न्यायालय के 25.03.1992 दिनांकित एक अन्य आदेश द्वारा किया गया था, जो इस प्रकार हैः

" अपीलों को निष्फल बताते हुए खारिज कर दिया जाता है -

फाइल पर हस्ताक्षरित आदेश दिया गया है।

20. उपरोक्त आदेश दिनांक 25.03.1992 को बाद में इस न्यायालय द्वारा भारत संघ द्वारा दिनांक 13.01.1995 के आदेश द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका पर वापस ले लिया गया था। इस न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी गई थी इस आधार पर कि सहमति आदेश केवल श्री पी. टी. एंकेलेसरिया के मामले के संबंध में पारित किया गया था, जिसके द्वारा केवल उनकी अपीलों को उनके निपटारे के लिए उच्च न्यायालय में प्रेषित किया गया था, जबकि अन्य अपीलों को उक्त आदेश के आलोक में निष्फल होने के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता था।

कैखोस्रो (चिक) कवासी फ्रामजी बनाम। यू. ओ. आई. [अभय मनोहर सेप्रे, जे.]

21. इस बीच, श्री कवासजी के. फ्रामजी की मृत्यु हो गई और उनके कानूनी प्रतिनिधियों (अपीलकर्ताओं) को मुकदमे को जारी रखने के लिए मामले के रिकॉर्ड में लाया गया।

22. इस न्यायालय ने तब 04.08.1998 दिनांकित आदेश द्वारा सॉलिसिटर का बयान दर्ज करने के बाद उपरोक्त अपीलों का निपटारा किया निम्नलिखित शब्दों में भारत के जनरलः

" विद्वान महान्यायवादी का कहना है कि भारत संघ

कानून के अनुसार और यदि आवश्यक हो, तो सिविल न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दायर करके शामिल संपत्तियों से। यदि इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, तो उच्च न्यायालय द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी जो मांगे गए उपायों को विफल करने की प्रवृत्ति रखती है, उसके रास्ते में नहीं आएगी। भारत संघ के ऐसे रुख पर, सिविल अपीलों
के साथ-साथ विशेष अनुमति याचिकाओं का भी निपटारा किया जाता है।

तदनुसार। ”

23. यह इन पृष्ठभूमि तथ्यों के साथ है जो 01.03.1920 से शुरू हुआ और 01.08.1998 पर पारित इस न्यायालय के आदेश के साथ समाप्त हुआ, प्रतिवादी

सं. 2-संपदा अधिकारी ने अपीलार्थियों को सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (संक्षेप में "पीपी अधिनियम") की धारा 4 की उप-धारा 2 के उप-(1) और खंड (बी) (ii) के तहत नोटिस जारी किया। वर्तमान अपील इस सूचना की वैधता और शुद्धता से संबंधित है।

24. विचाराधीन नोटिस आरोपों के आधार पर बनाया गया था

अन्य बात यह है कि अपीलकर्ता नोटिस में अनुसूची में उल्लिखित सार्वजनिक परिसर यानी वाद संपत्ति पर अनधिकृत कब्जे में हैं और इसलिए अपीलकर्ताओं को वाद संपत्ति को खाली कर देना चाहिए। नोटिस की सामग्री नीचे दी गई हैः

" जबकि भूमि पर धारक के अधिकारों की प्रकृति है

केवल इसके अधिभोग तक सीमित, इसलिए, सरकार की संपत्ति है। पुरानी अनुदान शर्तों के तहत प्राप्त शर्तों के संदर्भ में भूमि को फिर से शुरू किया जा सकता है। तदनुसार सरकार। भारत के रक्षा मंत्रालय ने भूमि को फिर से शुरू किया

और आदेश के माध्यम से एक महीने का नोटिस देने के बाद इमारत नहीं। 701 / 71 / एल/एल एंड सी/70/12030/डी (भूमि) 21 जनवरी 1971 को 4,765/- रुपये (चार हजार सात रुपये) के भुगतान पर।

केवल एक सौ पैंसठ) को फिर से शुरू करने की लागत के लिए उस पर खड़ी अधिकृत सुपर संरचना जो की गई है

आपने स्वीकार किया, हालांकि, विरोध के तहत। "[2019] 4 एस. सी. आर.

25. अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उन्हें उपरोक्त नोटिस जारी किए जाने से व्यथित महसूस किया और बॉम्बे उच्च न्यायालय में इसकी वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाते हुए एक रिट याचिका दायर की और इसे रद्द करने की मांग की। अपीलकर्ताओं ने नोटिस को कई तथ्यात्मक और कानूनी आधारों पर चुनौती दी जो आधारों से स्पष्ट है

रिट याचिका में उल्लिखित।

26. प्रत्यर्थियों ने अपना प्रतिवाद दायर किया और अपीलार्थियों को इसकी सामग्री सहित नोटिस जारी करने का बचाव किया। विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और पीपी अधिनियम के तहत अपीलार्थियों को नोटिस जारी करने को बरकरार रखा, जिसने असफल रिट याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील को दायर करने को जन्म दिया है।

27. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री डेरियस खंबाटा और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान श्री अमन लेखी ने ए. एस. जी. को सुना।

28. अपीलार्थियों (रिट याचिकाकर्ता) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री डेरियस खंबाटा ने मुख्य रूप से निम्नलिखित आठ बिंदुओं पर तर्क दिया है।

29. उनका पहला निवेदन था कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करने में गलती की और इस तरह विवादित नोटिस को बरकरार रखने में गलती की। पीपी अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी किया गया।

30. उनका दूसरा निवेदन यह था कि ऊपर बताए गए पृष्ठभूमि के तथ्यों के साथ-साथ उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्यवाही में पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए, जो इन तथ्यों से निकले हैं, यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 2-संपदा अधिकारी को अपीलकर्ताओं के खिलाफ पीपी अधिनियम की धारा 4 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने और उन्हें मुकदमे की संपत्ति के अनधिकृत अधिभोगियों के रूप में मानने के लिए मुकदमे की संपत्ति पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

31. दूसरे शब्दों में, प्रस्तुतिकरण यह था कि ऊपर बताए गए तथ्य, किसी भी अनिश्चित शब्दों में, यह दिखाने के लिए जाते हैं कि मुकदमा संपत्ति कभी नहीं

यह भारत संघ से संबंधित था और दूसरी ओर यह अपीलार्थी के पूर्ववर्तियों और फिर अपीलार्थियों से संबंधित था और इसलिए प्रतिवादी संख्या 2-संपदा अधिकारी को भारत संघ से संबंधित होने के लिए वाद संपत्ति को पी. पी. अधिनियम के तहत अपीलार्थियों के खिलाफ उनकी संक्षिप्त बेदखली के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

32. उनका तीसरा निवेदन यह था कि ऊपर वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि कैखोस्रो (चिक) कवासी फ्रामजी बनाम के बीच एक "प्रामाणिक विवाद" मौजूद है।

यू. ओ. आई. [अभय मनोहर सेप्रे, जे.]

अपीलार्थी और भारत संघ (प्रत्यर्थी संख्या 1) वाद संपत्ति के संबंध में कि इसका वास्तविक मालिक कौन है- अपीलार्थी या भारत संघ।

33. विद्वान वकील के अनुसार, ऐसी स्थिति में जब दो प्रतिद्वंद्वी दावेदारों के बीच संपत्ति के स्वामित्व के बारे में एक प्रामाणिक विवाद उत्पन्न होता है, जैसे कि मामला सामने आया है, तो पक्षों का उपाय दीवानी अदालत में एक दीवानी मुकदमा दायर करना और कानून के अनुसार संपत्ति पर अपने स्वामित्व की घोषणा करना है, लेकिन संपत्ति को बेदखल करने के लिए किसी भी संक्षिप्त उपाय का सहारा नहीं लेना है। व्यक्ति, जैसे कि पी. पी. अधिनियम के तहत प्रत्यर्थियों द्वारा अपीलार्थियों के खिलाफ केवल इसलिए किया गया क्योंकि प्रतिद्वंद्वी दावेदारों में से एक, यानी प्रत्यर्थी संख्या 1 भारत संघ होता है।

34. उनका चौथा निवेदन था कि, प्रतिवादी संख्या 1 उनके माध्यम से

वकील (सॉलिसिटर जनरल) ने इस न्यायालय में 04.08.1998 पर एक बयान दिया है कि प्रतिवादी संख्या 1 (भारत संघ) अपीलार्थियों के खिलाफ दीवानी अदालत में दीवानी मुकदमा दायर करने के लिए कदम उठाएगा।

वाद संपत्ति से बेदखल, और इस न्यायालय ने ऐसे बयान के आलोक में भारत संघ की अपीलों का निपटारा करते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 अपने स्वयं के बयान से बाध्य है। इसलिए यह आग्रह किया जाता है कि भारत संघ को दीवानी अदालत में वाद संपत्ति के संबंध में अपीलार्थी के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर करने के उपाय का सहारा लेना चाहिए, जो अन्यथा राहत का दावा करने के लिए कानून में उपलब्ध एक उचित उपाय है।

35. उनकी पाँचवीं प्रस्तुति यह थी कि अन्यथा भी,

अपीलार्थियों द्वारा दायर दस्तावेजों की प्रकृति और जिस तरह से अपीलार्थियों ने मुकदमे की संपत्ति पर अपने अधिकार का पता लगाया है, अपीलार्थियों को प्रथम दृष्टया मुकदमे की संपत्ति में अतिक्रमणकर्ता नहीं माना जा सकता है और न ही उन्हें प्रतिवादी संख्या 1 (भारत संघ) द्वारा इसके अनधिकृत कब्जे में व्यक्तियों के रूप में माना जा सकता है ताकि उन्हें पी. पी. अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेने का अधिकार दिया जा सके। 36. दूसरे शब्दों में, निवेदन यह था कि अपीलकर्ताओं द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, वे प्रथम दृष्टया साबित करते हैं कि अपीलकर्ता थे/हैं

और प्रतिवादी संख्या 1 (भारत संघ) सहित सभी व्यक्तियों के अपवर्जन तक मुकदमे की संपत्ति के मालिक रहे हैं और इसलिए, किसी को भी "कानून की उचित प्रक्रिया" का पालन करने के अलावा मुकदमे की संपत्ति पर अपने लंबे समय से स्थापित कब्जे को बाधित करने का अधिकार नहीं है। 37. उनका छठा निवेदन था कि पी. पी. अधिनियम के प्रावधान केवल उन संपत्तियों पर लागू किए जाते हैं जो स्वीकार्य रूप से [2019] 4 एस. सी. आर. से संबंधित हैं।

केंद्र सरकार या राज्य सरकार को, जैसा भी मामला हो, और इसलिए पी. पी. अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा सकती है जब वह इसके वास्तविक मालिक यानी केंद्र/राज्य सरकार से किसी भी वैध अधिकार के बिना इसके अनधिकृत कब्जे में पाया जाता है। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है।

38. उनका सातवां निवेदन था कि, यदि प्रतिवादी संख्या 1 (संघ)

भारत का) खुद को वाद संपत्ति का मालिक होने का दावा करता है (जो वे नहीं हैं), फिर जैसा कि पहले आग्रह किया गया है, उनका उपाय दीवानी न्यायालय में दीवानी मुकदमा दायर करने और अपीलकर्ताओं को इस न्यायालय के दिनांकित 04.08.1998 के आदेश के संदर्भ में वाद संपत्ति पर स्वामित्व का अपना दावा स्थापित करने में निहित है।

और अपीलार्थियों से वाद संपत्ति का कब्जा वसूल करें। 39. उनकी आठवीं दलील यह थी कि चूंकि अपीलार्थी उच्च न्यायालय में प्रतिवादी नं. 1 के खिलाफ मुकदमे के पहले दौर में सफल हुए थे।

(भारत संघ) जिसमें उच्च न्यायालय ने दिनांक (ए. आई. डी. 1) (ए. आई. आर. 1980 बॉम्बे 9) के आदेश द्वारा दिनांक (आई. डी. 3) को फिर से शुरू करने के नोटिस को रद्द कर दिया, यह आदेश अभी भी सही है क्योंकि इसमें दर्ज किए गए किसी भी निष्कर्ष को इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांक (आई. डी. 2) के आदेश द्वारा या तो अलग नहीं किया गया है या संशोधित नहीं किया गया है।

40. विद्वान वकील ने अपनी उपरोक्त प्रस्तुतियों को विस्तार से बताते हुए एक्सप्रेस समाचार पत्रों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया

बनाम यू. ओ. आई. , (1986) 1 एस. सी. सी. 133, उड़ीसा राज्य बनाम रामचंद्र देव, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 685, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम बल्लापुर कोलियरीज कंपनी और अन्य। (सी. ए. Nos.4487-4488/2009), मेसर्स में दिनांकित 11.12.2018 का निर्णय। बल्लापुर कोलियरीज कंपनी एंड ओआरएस। बनाम संपदा अधिकारी और अन्य। (2002 के सिविल संशोधन आवेदन No.801 और 2003 के सिविल संशोधन आवेदन No.803, यू. पी. और ए. एन. आर. राज्य में बॉम्बे उच्च न्यायालय (नागपुर पीठ) का दिनांकित 22.01.2007 निर्णय। बनाम। जिया खान, (1998) 8 एस. सी. सी. 483, स्टेट ऑफ ए. पी. बनाम तुम्माला कृष्ण राव, (1982) 2 एस. सी. सी. 134 और राजस्थान राज्य बनाम पद्मावतीदेवी, 1995 पूरक (2) एस. सी. सी. 872।

41. जवाब में, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर, श्री अमन लेखी ने उच्च न्यायालय के तर्क और निष्कर्ष का समर्थन करते हुए

विवादित आदेश में तर्क दिया गया कि अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा आग्रह की गई प्रस्तुतियों में से किसी में भी कोई योग्यता नहीं है। 42. यह उनका निवेदन था कि पिछले तथ्यात्मक इतिहास को ध्यान में रखते हुए, यह संपदा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र को नहीं छीनता है।

पी. पी. अधिनियम पी. पी. अधिनियम की धारा 4 के तहत नोटिस जारी करने के लिए और चूंकि कैखोस्रो (चिक) कवासी फ्रामजी बनाम।

यू. ओ. आई. [अभय मनोहर सेप्रे, जे.]

मुकदमा संपत्ति भारत संघ की थी, धारा 4 के तहत एक नोटिस

43. दूसरे शब्दों में, उनका निवेदन था कि संपदा अधिकारी के पास विचाराधीन नोटिस जारी करने का अधिकार क्षेत्र है और अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए जाने वाले विवादों के संबंध में अधिनियम के तहत जांच करने का अधिकार क्षेत्र भी है और इसलिए अपीलकर्ताओं को अनुच्छेद के तहत रिट याचिका दायर करने के असाधारण उपाय को आगे बढ़ाने के बजाय संपदा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत होना चाहिए था। 226 भारत का संविधान। ये प्रस्तुतियाँ हैं, जिन्हें विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अपील का विरोध करते हुए विस्तार से बताया।

44. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और लिखित प्रस्तुतियों सहित मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन पर, हम पाते हैं

अपीलार्थियों (रिट याचिकाकर्ताओं) के लिए विद्वान वकील द्वारा आग्रह किए गए प्रस्तुतियों में बल।

45. इससे पहले कि हम मामले के तथ्यों की जांच करें, यह आवश्यक है कि -

कानून पर ध्यान दें, जो इस मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों से संबंधित है। वास्तव में, अगर हम ऐसा कह सकते हैं, तो यह काफी अच्छी तरह से तय किया गया है।

46. इस न्यायालय (तीन न्यायाधीशों की पीठ) ने एक्सप्रेस न्यूजपेपर प्राइवेट में इस मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर संक्षिप्त रूप से विचार किया है। लिमिटेड और ओआरएस।

बनाम भारत संघ और अन्य। (1986) 1 एससीसी 133।

47. हालांकि, एक्सप्रेस समाचार पत्र मामले (उपरोक्त) में नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित कई अन्य मुद्दे

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और (जी) और इसके उल्लंघन पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया, इस न्यायालय को संविधान द्वारा जारी नोटिस की वैधता और शुद्धता पर निर्णय लेने के लिए भी कहा गया था।

भारत सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से विचाराधीन भूमि के पट्टेदार के रूप में पट्टेदार (मामले के रिट याचिकाकर्ता) से नष्ट की गई भूमि पर पट्टा विलेख की शर्तों के तहत पुनः प्रवेश के अधिकार की मांग करती है। 48. यह वह मुद्दा है, जिसे नागरिक कानून के साथ-साथ विशेष कानूनों के संदर्भ में भी व्यापक रूप से निपटाया गया था, जो इसका सहारा लेने का प्रावधान करता है।

राज्य द्वारा अपने अधिभोगियों से राज्य की भूमि का कब्जा लेने के लिए संक्षिप्त उपाय। विद्वान न्यायाधीश ए. पी. सेन जे. [2019] 4 एस. सी. आर. के लिए बोल रहे हैं।

एच ने लेखन की अपनी अनूठी शैली में सवाल का जवाब पैरा में दिया।

7 निम्नानुसारः

" 86. एक्सप्रेस द्वारा निर्मित एक्सप्रेस इमारतें

समाचार पत्र प्रा. पट्टेदार की मंजूरी के साथ लिमिटेड अर्थात

भारत संघ, भूखंडों पर कार्य और आवास मंत्रालय सं। 9 और 10, बहादुरशाह जफर मार्ग पर गिराया गया

केंद्र सरकार से संबंधित परिसर धारा 2 (ई)। ऐसा होने पर, एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स प्राइवेट की बेदखली के लिए पट्टेदार के आवेदन करने का कोई सवाल ही नहीं है। लि.

सार्वजनिक परिसरों की धारा 5 (1) के तहत

अनाधिकृत अधिभोगियों) अधिनियम, 1971 और न ही संपत्ति है

अधिकारी किसी भी प्राधिकरण या क्षेत्राधिकार को उनकी बेदखली का निर्देश देने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा इसकी उप-धारा (2) के तहत। देय

वर्तमान जैसे मामले में कानून की प्रक्रिया का तात्पर्य अनिवार्य रूप से पट्टेदार यानी भारत संघ, कार्य और आवास मंत्रालय द्वारा कथित प्रावधानों को लागू करने के लिए मुकदमा दायर करना है।

उल्लंघन के कारण पट्टा जब्त होने पर पुनः प्रवेश का अधिकार, यदि कोई हो

पट्टे की शर्तों से। 87. यहाँ कही गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि सरकार के पास सार्वजनिक परिसरों (अनधिकृत लोगों की बेदखली) के प्रावधानों का सहारा लेने की शक्ति नहीं है।

अधिभोगियों) अधिनियम, 1971 जहां स्वीकार किया जाता है

पट्टेदार या किसी अन्य द्वारा अनधिकृत निर्माण

सरकारी भूमि पर व्यक्ति जो सार्वजनिक परिसर के भीतर है

धारा 2 (ई) और ऐसे व्यक्ति का अर्थ है उसका अनधिकृत कब्जा "।

49. अन्य दो विद्वान न्यायाधीश, ई. एस. वेंकटरमैया जे. बी. मिश्रा जे. ने भी इस प्रश्न पर न्यायमूर्ति ए. पी. सेन द्वारा संपादित तर्क और निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की और निम्नलिखित शब्दों में उनके वैकल्पिक सहमति वाले तर्क को पूरक बनायाः

" वेंकटरमैया, जे.-मैं फैसले से गुजरा हूँ।

जो मेरे विद्वान भाई न्यायमूर्ति ए. पी. सेन के पास अभी है

वितरित किया गया। .....

कैखोस्रो (चिक) कवासी फ्रामजी बनाम। यू. ओ. आई. [अभय मनोहर सेप्रे, जे.]

202. शेष प्रश्न वास्तव में पट्टा-विलेख से आने वाले पक्षों के नागरिक अधिकारों से संबंधित हैं। इस याचिका में उन प्रश्नों का प्रभावी ढंग से निपटारा नहीं किया जा सकता है।

संविधान का अनुच्छेद 32। पट्टे से उत्पन्न होने वाले प्रश्न, जैसे कि क्या पट्टे के तहत समझौतों का उल्लंघन हुआ है, क्या पट्टे को जब्त किया जा सकता है, क्या ज़ब्त के खिलाफ राहत दी जा सकती है आदि संविधान के अनुच्छेद 32 के दायरे के लिए विदेशी हैं। उनका निर्णय केवल शपथपत्रों पर नहीं किया जा सकता है। ये हैं।

जिन मामलों की सुनवाई नियमित दीवानी कार्यवाही में की जानी चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि संपत्ति की भारत संघ और उसमें निहित अधिकारों का आदान-प्रदान नहीं किया जा सकता है।

एक अधिकारी या एक मंत्री या एक उपराज्यपाल की मीठी इच्छा के अनुसार लेकिन उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए

कानून के अनुसार। साथ ही एक व्यक्ति जिसने ऐसी संपत्ति में अधिकार अर्जित किए हैं, उसे भी कानून के अनुसार के अलावा उनसे वंचित नहीं किया जा सकता है। इस मामले में दोनों पक्षों के लिए बहुत अधिक जोखिम है और उनमें से कोई भी कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकता है।

205. मैं तदनुसार याचिकाओं को स्वीकार करता हूं। याचिकाकर्ता 1 के खर्च का भुगतान केंद्र सरकार और उपराज्यपाल द्वारा किया जाएगा।

दिल्ली के राज्यपाल। अन्य उत्तरदाताओं के खिलाफ लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। अन्य याचिकाकर्ता अपना खर्च वहन करेंगे।

" आर. बी. मिश्रा, जे.-मैंने तैयार किए गए फैसले का अध्ययन किया है।

भाई न्यायमूर्ति ए. पी. सेन और भाई न्यायमूर्ति ई. एस. वेंकटरमैया का फैसला। जबकि मैं सहमत हूँ कि

निर्माण के पुनः प्रवेश और विध्वंस की धमकी देने वाले विवादित नोटिस अमान्य हैं और इनका कोई कानूनी मूल्य नहीं है और दोनों निर्णयों में विस्तृत कारणों के लिए इन्हें रद्द किया जाना चाहिए, जिन्हें मैं फिर से दोहराने का प्रस्ताव नहीं करता। मेरा विचार है कि मामले में शामिल अन्य प्रश्न पक्षों के बीच संविदात्मक दायित्वों पर आधारित हैं। इन प्रश्नों को एक उचित रूप से स्थापित कार्यवाही या मुकदमे में संतोषजनक और प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकता है न कि शपथ पत्रों के आधार पर एक रिट याचिका द्वारा जो इस मामले में इतने असंगत और विरोधाभासी हैं।

19] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

208. मैं तदनुसार खिलाफ लागत के साथ रिट याचिकाओं की अनुमति देता हूं।

केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल और

विवादित नोटिसों को रद्द कर दें "।

50. इस स्तर पर, उठाई गई एक आपत्ति से निपटना आवश्यक है

एक्सप्रेस समाचार पत्र मामले (उपरोक्त) में निर्धारित कानून के उपरोक्त बयान पर विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा।

51. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील की आपत्ति यह थी कि

ए. पी. सेन द्वारा पारस 86-87 में व्यक्त किए गए विचार को उनके अपने विचार के रूप में माना जा सकता है, लेकिन बहुमत से न्यायालय के विचार के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि अन्य दो विद्वान न्यायाधीशों (ई. एस. वेंकटरमैया जे. और आर. बी. मिश्रा जे.) ने इस प्रश्न पर कोई राय व्यक्त नहीं की थी। यही कारण है कि विद्वान

वकील प्रस्तुत करता है कि इस न्यायालय को पारस 86-87 में निर्धारित कानून के बयान पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए।

52. हम एक से अधिक कारणों से इस आपत्ति में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

हालाँकि, हम 1889 में रिपोर्ट किए गए क्वीन बेंच के एक उत्कृष्ट निर्णय का उल्लेख करना उचित मानते हैं। XXIV) पृष्ठ 117 (वेस्ट डर्बी यूनियन बनाम गरीबों के संरक्षक। के संरक्षक अत्चम संघ के गरीब) इस विषय पर जिस पर अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने इस प्रश्न के उत्तर में उचित रूप से भरोसा किया था।

53. द में क्वींस बेंच के सामने सवाल उठा

अभिभावक का मामला (ऊपर दिया गया है) कि न्यायालय को निर्णय में निर्धारित अनुपात का पता लगाने के लिए किसी निर्णय को कैसे पढ़ना चाहिए, जब ऐसा निर्णय एक से अधिक न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया जाता है (जैसा कि उस मामले में - हाउस ऑफ लॉर्ड्स के चार न्यायाधीश) और विशेष रूप से जब सभी न्यायाधीशों ने इस विषय पर अपनी व्यक्तिगत राय लिखी हो।

54. लॉर्ड एशर एम. आर. संक्षिप्त लेखन की अपनी विशिष्ट शैली में

इस प्रश्न को निम्नलिखित शब्दों में समझायाः

जब हम वास्तविक निर्माण पर पहुँच जाते हैं, तो क्या होता है इसे इस मामले में लागू करना?

.....

. द.

हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मामलों की सुनवाई की, और निर्णय नहीं दिया तुरंत, लेकिन मामले पर ध्यान से विचार किया, और चार

हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विद्वान न्यायाधीशों ने निर्णय दिया। अब

हम जानते हैं कि उनमें से प्रत्येक इस मामले पर अलग-अलग विचार करता है,

और फिर वे इस मामले पर संयुक्त रूप से विचार करते हैं, आपस में उनका आदान-प्रदान करते हैं

निर्णय, ताकि उनमें से हर एक ने कैखोस्रो (चिक) कवासी फ्रामजी बनाम को देखा हो।

यू. ओ. आई. [अभय मनोहर सेप्रे, जे.]

दूसरों के निर्णय। अगर वे अपने में भिन्न होना चाहते हैं

देखें, वे इतने खुले तौर पर जब वे उन्हें देने आते हैं

निर्णय, और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो यह लिया जाना चाहिए कि

उनमें से प्रत्येक दूसरे के निर्णयों से सहमत है।

फिर हमारे पास चार निर्णय हैं। इनमें से सबसे विस्तृत इसमें कोई शक नहीं कि यह लॉर्ड वॉटसन का है, लेकिन लॉर्ड वॉटसन का है।

निर्णय को लॉर्ड चांसलर द्वारा पढ़ा गया होगा, और

लॉर्ड चांसलर ने लॉर्ड वॉटसन के साथ चर्चा की होगी

चाहे वह सहमत हो या नहीं, और वह सहमत होना चाहिए था

इसके साथ। लार्ड फिट्जगेराल्ड शब्दों में कहते हैं, "मैंने पढ़ा है

लॉर्ड वॉटसन का निर्णय, और मैं इससे सहमत हूँ; "अर्थात, वह

न केवल परिणाम के साथ बल्कि उस मोड के साथ सहमत है जिसमें

परिणाम आ गया है। लॉर्ड मैकनाघटेन ने लॉर्ड पढ़ा था।

वाटसन का निर्णय, और वह व्यक्त करने का प्रयास नहीं करता है

इसके बारे में राय का सबसे छोटा अंतर; वह अपनाता है

लॉर्ड वॉटसन का तर्क और वह इससे सहमत है, लेकिन वह जोड़ता है उसका अपना एक और कारण।

आज जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि सदन ने क्या विचार रखा है।

35 वें के तीसरे भाग की व्याख्या के स्वामी अनुभाग। यह स्पष्ट है कि लॉर्ड वॉटसन ने एक अलग बात कही है।

और स्पष्ट दृष्टिकोण, और यह स्पष्ट रूप से बताया है कि प्रभाव क्या है,

कुछ हद तक सभी घटनाओं पर, तीसरे के

खंड।

..... मैं हूँ।

स्पष्ट करें कि उन्होंने उस बिंदु का फैसला किया जो हमारे सामने हैः कि

लॉर्ड वॉटसन का निर्णय विशेष रूप से इससे संबंधित है, कि निर्णय वास्तव में लॉर्ड चांसलर द्वारा सहमत है

और लॉर्ड फिट्जग्रेल्स द्वारा, और लॉर्ड मैकनाघटेन द्वारा, लेकिन लॉर्ड मैकनाघटेन ने भी आने का एक और कारण बताया है।

उसी निष्कर्ष पर। "

55. अन्य दो विद्वान न्यायाधीश लिंडले एलजे और लोप्स एलजे सहमत हुए।

लॉर्ड एशर एम. आर.

56. लॉर्ड एशर एम. आर. के तर्क को ध्यान में रखते हुए, जब हम

एक्सप्रेस समाचार पत्र के निर्णय में निर्धारित कानून का बयान

क) हमारा विचार है कि ए. पी. सेन जे.

पारा 86-87 में लिखा कानून तीनों की ओर से निर्धारित किया गया है।

ईएस। यह बहुमत से एक कानून है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 141 के न्यायालय द्वारा निर्धारित एक कानून है।

19] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

57. यह कारण है कि पहले, हालांकि मुख्य निर्णय ए. पी. सेन जे. द्वारा लिखा गया था, अन्य दो न्यायाधीशों ने इस विचार से सहमति व्यक्त की

और ए. पी. सेन जे. द्वितीय का तर्क, दोनों सहमत न्यायाधीशों ने भी उसी तर्ज पर प्रश्न पर अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त किए जिस पर ए. पी. सेन जे. ने अपने विचार व्यक्त किए और तीसरा, किसी भी मुद्दे पर कोई असहमति नहीं है, उस मुद्दे पर बहुत कम जिससे हम इस अपील में चिंतित हैं। 58. इन कारणों से, हमारा विचार है कि एक्सप्रेस समाचार पत्र (उपरोक्त) में प्रमुख निर्णय में निर्धारित कानून है -

तीन माननीय न्यायाधीशों द्वारा कानून, जिन्होंने पीठ का गठन किया और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत देश के सभी न्यायालयों को बाध्य करता है। यह द गार्जियन (ऊपर) के मामले में लॉर्ड एशर एम. आर. द्वारा निर्धारित परीक्षा को संतुष्ट करता है।

59. एक्सप्रेस समाचार पत्र मामले में शामिल प्रश्न (ऊपर)

राज्य के उपचार के संबंध में भूमि के कब्जे वाले व्यक्ति पर राजस्थान राज्य बनाम पदवती देवी [ऊपर] में रिपोर्ट किए गए एक मामले में तीन न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा फिर से विचार किया गया था।

60. उस मामले में भी, यह सवाल उठा कि क्या राज्य सरकार किसी को बेदखल करने के संक्षिप्त उपाय का सहारा ले सकती है।

भूमि से राज्य राजस्व कानूनों के तहत व्यक्ति जब ऐसा व्यक्ति ऐसी भूमि पर कब्जे में रहने के अपने अधिकार के बारे में एक प्रामाणिक विवाद उठाता है। उनके नेतृत्व ने माना कि ऐसी स्थिति में, अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति को बेदखल करने के लिए संक्षिप्त उपाय का सहारा नहीं लिया जा सकता है।

61. न्यायमूर्ति एस. सी. अग्रवाल पैरा 6 में आयोजित पीठ की ओर से निम्नलिखित शब्दों में बोल रहे हैं:

व्यवसाय में व्यक्ति अपने अधिकार के बारे में प्रामाणिक विवाद उठाता है भूमि पर कब्जे में रहना। इसी तरह से निपटना

आंध्र प्रदेश की धारा 6 में निहित प्रावधान भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1945, सरकार में यह न्यायालय। ए. पी. वी. तुम्माला कृष्ण राव 1 ने निर्धारित किया है कि बेदखली के लिए संक्षिप्त उपाय उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदान किया गया है

सरकार द्वारा केवल इसके खिलाफ सहारा लिया जा सकता है

ऐसे व्यक्ति जो किसी भी भूमि पर अनधिकृत कब्जे में हैं जो सरकार की संपत्ति है और यदि व्यक्ति कैखोस्रो (चिक) कवासी फ्रामजी बनाम।

यू. ओ. आई. [अभय मनोहर सेप्रे, जे.]

शीर्षक के जटिल प्रश्न। इन्हीं कारणों से, यह कहा जा सकता है कि धारा 91 के तहत संक्षिप्त उपचार उपलब्ध है। अधिनियम
वह कानूनी प्रक्रिया नहीं है जो इसके लिए उपयुक्त है

शीर्षक के जटिल प्रश्नों का निर्णय जहाँ

व्यक्ति को अनधिकृत रहने वाले के रूप में बेदखल करने की मांग की गई

में रहने के अपने अधिकार के बारे में एक प्रामाणिक दावा करता है

अधिकार। ऐसे मामले में उचित मार्ग यह है कि

कानून के सामान्य न्यायालयों द्वारा निर्णय लिया गया मामला। ”

63. इस स्तर पर हम इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले पर ध्यान देना उचित समझते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने कैसर I-हिंद प्रा. लि. में पी. पी. अधिनियम की संवैधानिक वैधता की जांच और उसे बनाए रखना। लिमिटेड बनाम। राष्ट्रीय वस्त्र निगम। (महाराष्ट्र उत्तर)

लिमिटेड [(2002) 8 एस. सी. सी. 182] ने नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स (पी) लिमिटेड बनाम नॉर्थ इंडिया कैटरर्स (पी) लिमिटेड बनाम नॉर्थ इंडिया कैटरर्स (पी) लिमिटेड बनाम नॉर्थ इंडिया कैटरर्स (पी) लिमिटेड बनाम नॉर्थ इंडिया कैटरर्स (पी) लिमिटेड बनाम नॉर्थ इंडिया कैटरर्स (पी) लिमिटेड बनाम नॉर्थ इंडिया कैटरर्स (पी) लिमिटेड बनाम नॉर्थ इंडिया कैटरर्स (पी) लिमिटेड बनाम नॉर्थ इंडिया कैटरर्स (पी) लिमिटेड बनाम नॉर्थ इंडिया कैटरर्स (पी) लिमिटेड बनाम नॉर्थ इंडिया कैटरर्स (पी) लिमिटेड बनाम नॉर्थ इंडिया कैटरर्स (पी) लिमिटेड बनाम नॉर्थ इंडिया कैटरर्स (पी) लिमिटेड बनाम नॉर्थ इंडिया कैटरर्स (पी) लिमिटेड बनाम नॉर्थ इंडिया कैटरर्स (पी) लिमिटेड बनाम नॉर्थ इंडिया कैटरर्स (पी) लिमिटेड बनाम नॉर्थ इंडिया कैटरर्स (पी) लिमिटेड बनाम नॉर्थ इंडिया कैटर की स्थिति

पंजाब (ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1581) ने कहा कि पी. पी. अधिनियम बेदखली का कोई नया अधिकार नहीं बनाता है, बल्कि यह केवल उस अधिकार के लिए एक उपाय बनाता है जो पहले से ही सामान्य कानून के तहत मौजूद है। दूसरे शब्दों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह केवल एक ऐसा उपचार प्रदान करता है जो सामान्य कानून के तहत मुकदमे के उपचार की तुलना में तेज है।

64. ऊपर उद्धृत निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के कथन को ध्यान में रखते हुए, जब हम मामले के तथ्यों की जांच करते हैं

साथ ही, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 1 (भारत संघ) के तहत वाद संपत्ति के स्वामित्व के सवाल पर एक प्रामाणिक विवाद उठाया है। 65. ऐसे मामले में, प्रतिवादी संख्या 2 के पास पी. पी. अधिनियम की धारा 4 के तहत शक्तियों का उपयोग करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

अपीलार्थी को वाद संपत्ति से बेदखल करने के लिए पी. पी. अधिनियम की धारा 4 के तहत नोटिस भेजकर पी. पी. अधिनियम में निर्धारित संक्षिप्त प्रक्रिया। यह हम निम्नलिखित छह कारणों से कहते हैं।

66. सबसे पहले, ऊपर दिए गए तथ्य और उनके समर्थन में दायर किए गए दस्तावेज, बिना किसी अनिश्चितता के, यह स्थापित करते हैं कि एक प्रामाणिक [2019] 4 एस. सी. आर. मौजूद है।

लंबे समय से चला आ रहा विवाद कि वाद संपत्ति का मालिक कौन है-अपीलार्थी या प्रत्यर्थी संख्या 1 (भारत संघ)।

67. दूसरा, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने स्वयं स्वीकार किया कि अपीलार्थियों और प्रत्यर्थी संख्या 1 (संघ) के बीच एक प्रामाणिक विवाद मौजूद है।

भारत सरकार) तथ्यों के विवादित प्रश्नों से संबंधित वाद संपत्ति पर (इस न्यायालय में वाद संपत्ति के संबंध में अपीलार्थियों के खिलाफ सिविल अपील Nos.608-612 में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर समीक्षा याचिका के पैरा 7,8 और 18 देखें)।

68. तीसरा, प्रत्यर्थी संख्या 1 (भारत संघ) ने स्वयं इस न्यायालय में अपनी दीवानी अपील का निपटारा करते हुए मुकदमे के पहले दौर में कहा था

1980 का Nos.609,611-613,614 और 621 कि वे कानून के अनुसार विचाराधीन संपत्ति से अपीलार्थियों को बेदखल करने की मांग करेंगे और यदि आवश्यक हो, तो दीवानी न्यायालय में दीवानी मुकदमा दायर करेंगे। उत्तरदाताओं को अब अपने बयान से पीछे हटने और पी. पी. अधिनियम के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो अन्यथा उनके लिए उपलब्ध नहीं है। 69. चौथा, इस न्यायालय ने 03.08.2009 पर अपील करने के लिए विशेष अनुमति देते हुए प्रतिवादी संख्या 1 (भारत संघ) को अपीलार्थियों के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की थी, यदि उन्हें ऐसा करने की सलाह दी जाती है। हालांकि, इसका सहारा नहीं लिया गया।

70. पाँचवाँ, उच्च न्यायालय द्वारा वाद संपत्ति के संबंध में 05.02.1979/06.02.1979 दिनांकित आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थियों द्वारा जारी किए गए 21.01.1971 दिनांकित पुनः आरंभ करने के नोटिस को रद्द करने का प्रभाव यह था कि प्रत्यर्थी

नं. 1 (भारत संघ) अपीलार्थियों को न केवल बॉम्बे भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1948 के तहत बल्कि पी. पी. अधिनियम के तहत भी वाद संपत्ति से बेदखल करने के लिए किसी भी प्रकार के संक्षिप्त उपाय का सहारा लेने का हकदार नहीं था क्योंकि पी. पी. अधिनियम भी बेदखली का समान संक्षिप्त उपाय प्रदान करता है।

71. छठा, अकेले दीवानी न्यायालय दोनों पक्षों के बीच किसी भी अचल संपत्ति के स्वामित्व की घोषणा के प्रश्न पर निर्णय लेने का प्रयास कर सकता है।

पी. पी. अधिनियम के तहत। 72. यह हमें उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए एक अन्य प्रश्न की जांच करने के लिए ले जाता है कि क्या बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 06.02.1979 द्वारा दिया गया निर्णय इस न्यायालय के दिनांकित आदेश में विलय हो गया था।

04.08.1998 . हमारे विचार में, यह विलय नहीं करता है। 73. हमारे विचार में, विलय का सिद्धांत काफी अच्छी तरह से तय किया गया है। विलय के संचालन के लिए, उच्च न्यायालय को कैखोस्रो (चिक) कवासी फ्रामजी बनाम के गुण-दोष पर गौर करना चाहिए।

यूओआई

[अभय मनोहर सप्रे, जे।]

अन्य अपने गुणों पर। यदि यह उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामले में विलय की याचिका का कोई आवेदन नहीं है और अधीनस्थ का आदेश है। अदालत इस क्षेत्र को संभालना जारी रखेगी (देखें षण्मुगवल नादर बनाम तमिलनाडु राज्य [1989 (4) एस. सी. सी. 187]।

75. वास्तव में, प्रत्यर्थियों (जो अपील में अपीलार्थी थे) द्वारा दिए गए ऐसे बयान के आलोक में, जिसके परिणामस्वरूप उनका निपटारा किया गया अपील में, प्रत्यर्थियों ने स्वयं इस न्यायालय से अपनी अपीलों में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के गुण-दोष की जांच करने का आह्वान नहीं किया। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के लिए गुण-दोष पर ध्यान देने का कोई अवसर नहीं था

अपील में उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे पर कोई निष्कर्ष दर्ज करने के लिए बहुत कम। मामले के इस दृष्टिकोण में, विलय का सिद्धांत काम नहीं कर सका। 76. अब एक अन्य तर्क पर आते हुए, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि दोनों प्रकारों के बीच अंतर है।

क्या तथ्यों की प्रारंभिक स्थिति मौजूद है और इसके पास कुछ और करने के लिए आगे बढ़ने का अधिकार क्षेत्र है जैसा कि चौबे जगदीश प्रसाद बनाम गंगा प्रसाद चतुर्वेदी 1959 (पूरक) 1 एस. सी. आर. 733 पृष्ठों 743-744 में बताए गए मामले में बताया गया है। 77. इस निवेदन के आधार पर, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि संपदा अधिकारी के पास इस मामले के तथ्यों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है

अधिनियम के तहत धारा 4 की कार्यवाही में।

78. हम सहमत नहीं हैं। हमारी राय में, एक बार कैसर-I हिंद (ऊपर) के मामले में संविधान पीठ के प्रावधानों की जांच करने के बाद

पी. पी. अधिनियम ने कानून निर्धारित किया है कि पी. पी. अधिनियम कैसे संचालित होता है और इसे लागू करने की आवश्यकता है, पी. पी. अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों की जांच उस कानून के आलोक में की जानी चाहिए जो पी. पी. अधिनियम से संबंधित है।

79. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा चौबे जगदीश प्रसाद (उपरोक्त) में निर्धारित कानून पूरी तरह से अलग [2019] 4 एस. सी. आर. पर निर्भर था।

और इस अपील में शामिल मुद्दे को तय करने के लिए कोई आवेदन नहीं है।

पी. पी. अधिनियम की धारा 4 के तहत कोई योग्यता नहीं है और यह अस्वीकृति के योग्य है। यह कहने के लिए पर्याप्त है, पहला, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने और गुण-दोष के आधार पर इसे खारिज करने के बाद, यह आपत्ति विचार के लिए नहीं बची है और दूसरा, इस प्रश्न पर निर्णयों की लंबी कतार के आलोक में, एक रिट याचिका जिसके तहत जारी किए गए नोटिस की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाया गया है। कोई भी अधिनियम उपयुक्त मामले में रिट याचिका पर विचार करने में कोई बाधा नहीं है। इस मामले को रिट याचिका पर विचार करने के लिए एक उपयुक्त मामला माना गया था [देखें- सीमेंस लिमिटेड बनाम सीमेंस लिमिटेड। महाराष्ट्र राज्य 2006 (12) एस. सी. सी. 33 और व्हर्लपूल निगम बनाम व्यापार चिह्न पंजीयक (1998) 8 एस. सी. सी. 1]।

81. विदा लेने से पहले, हम यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि हमने मामले के तथ्यों को केवल सराहना करने के उद्देश्य से निर्धारित किया है। और अपील में उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दे का निर्णय लेना-पी. पी. अधिनियम की धारा 4 के तहत नोटिस जारी करने की वैधता और उससे आगे नहीं। हमने संपत्ति पर पक्षों के प्रतिद्वंद्वी दावों की जांच नहीं की है

योग्यता पर प्रश्न और न ही प्रतिद्वंद्वी दावों पर कोई निष्कर्ष दर्ज किया गया है।

82. मामले के इस दृष्टिकोण में, जब भी स्वामित्व का सवाल आता है

संबंधित न्यायालय द्वारा पक्षकारों के अधिकारों का अध्ययन किया जाएगा, यह उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित कानून के अनुसार पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और साक्ष्यों के आधार पर उक्त प्रश्न/प्रश्नों का सख्ती से निर्णय करेगा।

83. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, अपील सफल होती है और तदनुसार इसकी अनुमति दी जाती है। विवादित आदेश को अलग कर दिया जाता है। ए के रूप में परिणामस्वरूप, अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और

रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 2 (अनुलग्नक पी-34) द्वारा जारी दिनांक 31.07.2001 के नोटिस को प्रमाणपत्र की रिट जारी करके रद्द कर दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन